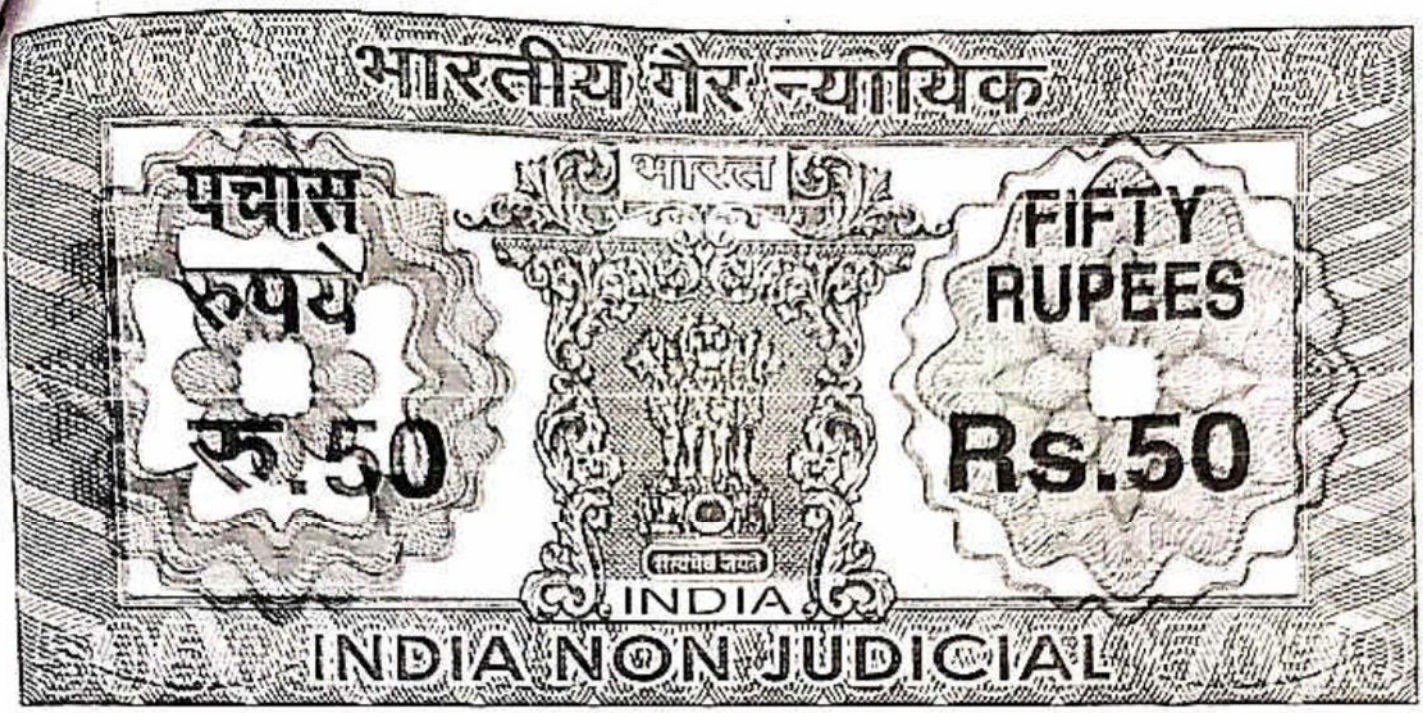

Annexure-IV -

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 555383

3– ट्रस्ट बोर्ड (ट्रस्ट परिषद)

उक्त समितियों का गठन मुख्य ट्रस्टी स्वयं करेगें तथा लेजिस्लेटिव काउन्सिल के द्वारा गठन कर ट्रस्ट काउन्सिल के द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा। जिसके अधिकार व कर्तव्य आगे दिये जायेनें।

<u>ट्रस्ट की नियमावली</u>

1.	ट्रस्ट का नाम	:	जय सन्त पति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट ।
2.	ट्रस्ट का पता	:	ग्राम ससना बहादुरपुर, पोस्ट अखोप, तहसील बेल्थरा रोड, जिला बलिया (उ0प्र0), पिन – 221715
3.	ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारतवर्ष और विदेशों में भी ट्रस्ट कार्य कर सकेगा।
4.	ट्रस्ट के सदस्य	:	सदस्यों के वर्ग एवं ट्रस्ट की समितियाँ निम्नलिखित है।

(अ) ट्रस्ट काउन्सिल– यह ट्रस्ट की विचार सभा है। इसमें निम्न प्रकार के सदस्य सम्मिलित होंगे।

(क) "आजीवन सदस्य" (**Life time members**) जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक मुश्त रूपया 10000=00 देगा या इसके मूल्य के बराबर चल या अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के नाम से दान करेगा वह ट्रस्ट का आजीवन सदस्य होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस राशि के अलावा उसे लगातार 10 वर्षो तक 5000=00 वार्षिक सदस्यता भी देना। किन्तु चीफ ट्रस्टी का यह विशेष अधिकार होगा कि अपने विवेकानुसार ट्रस्ट हित में बिना शुल्क के भी किसी व्यक्ति को आजीवन सदस्य बना सकेगा।

अन्द्रासिंह

[redacted]

महानिदेशक
जय संत पति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम–ससना बहादुरपुर,पो0अखोप बलिया(उ0प्र0)

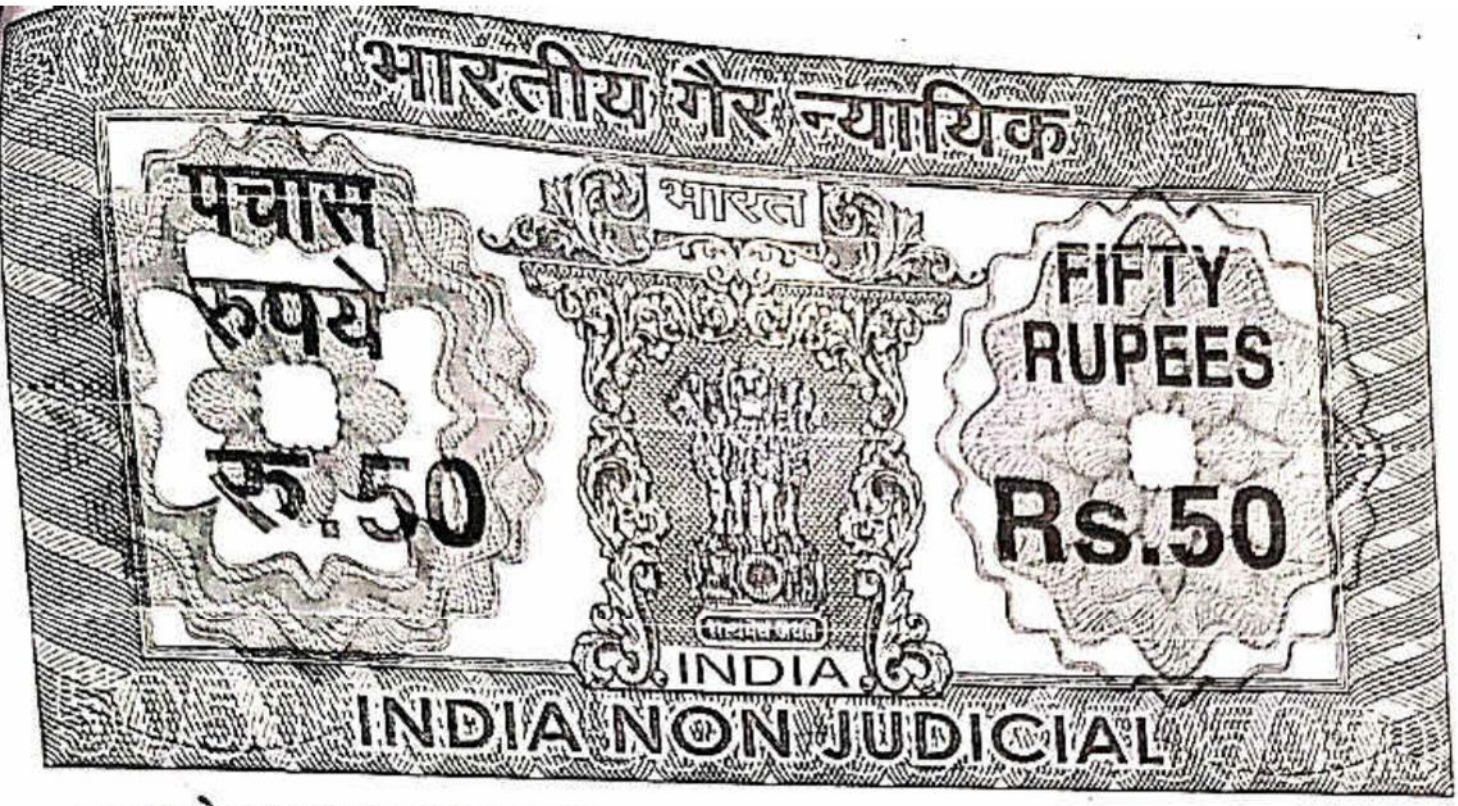

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 555384

(ख) "वार्षिक सदस्य" **(Annual Members)** ऐसे व्यक्ति जो संस्था के हित में सोचते या कार्य करते रहेंगे और वार्षिक सदस्यता के रूपये को 500 = 00 रू० देते रहेंगे। वे ट्रस्ट के वार्षिक या साधारण सदस्य कहें जायेंगे।

(ग) "विशिष्ट सदस्य" **(Special Members)** ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले सम्मानित साहित्यिक, राजनैतिक, कलाकार या अन्य किसी विशिष्ट गुणों से सम्पन्न व्यक्ति जो ट्रस्ट को विशेषता पर वार्षिक सहयोग देगें। उन्हें मुख्य ट्रस्टी या महानिदेशक सदस्य मनोनीत करेंगे तथा विशिष्ट या संरक्षक सदस्य कहे जा सकेगें। यदि इन सदस्यों में से किसी सदस्य को पदाधिकारी बनाना होगा तो पहले उन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा आजीवन सदस्य मनोनित किया जायेगा तत्पश्चात् पदाधिकार दिया जा सकता है। ट्रस्ट काउन्सिल में ऐसे व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। किन्तु उन्हें मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते है। किन्तु मुख्य ट्रस्टी चाहे तो उनमें से कुछ सदस्यों को आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में मत देने का अधिकार दे सकता है। विशिष्ट या संरक्षक सदस्यों में से जिन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा विशेष आपातकालीन स्थिति में मत देने का अधिकार दिया जायेगा। उन्हें चीफ ट्रस्टी द्वारा तत्काल संस्थापक सदस्यों का दर्जा दिया जायेगा और वे ट्रस्ट काउन्सिल में उतना ही समय तक मताधिकार का प्रयोग करेंगे जब तक कि दिया जायेगा। उन्हें मुख्य ट्रस्टी के द्वारा संस्थापक सदस्य या दर्जा प्राप्त होगा, उसके द्वारा यह दर्जा समाप्त किये जाने पर पुनः वे विशिष्ट या संरक्षक की भूमिका में आ जायेंगे।

(1) "उपरोक्त प्रकार के : सदस्यों के लिए निम्न अर्हताऐं पूरा करना आवश्यक होगा":-

(a)- उनकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो।

[redacted]

महानिदेशक
जय संत पाती जी शिक्षा सेवा एवं [illegible] ट्रस्ट
ग्राम-सराना बहादुरपुर पो०[illegible] बलिया(उ०प्र०)

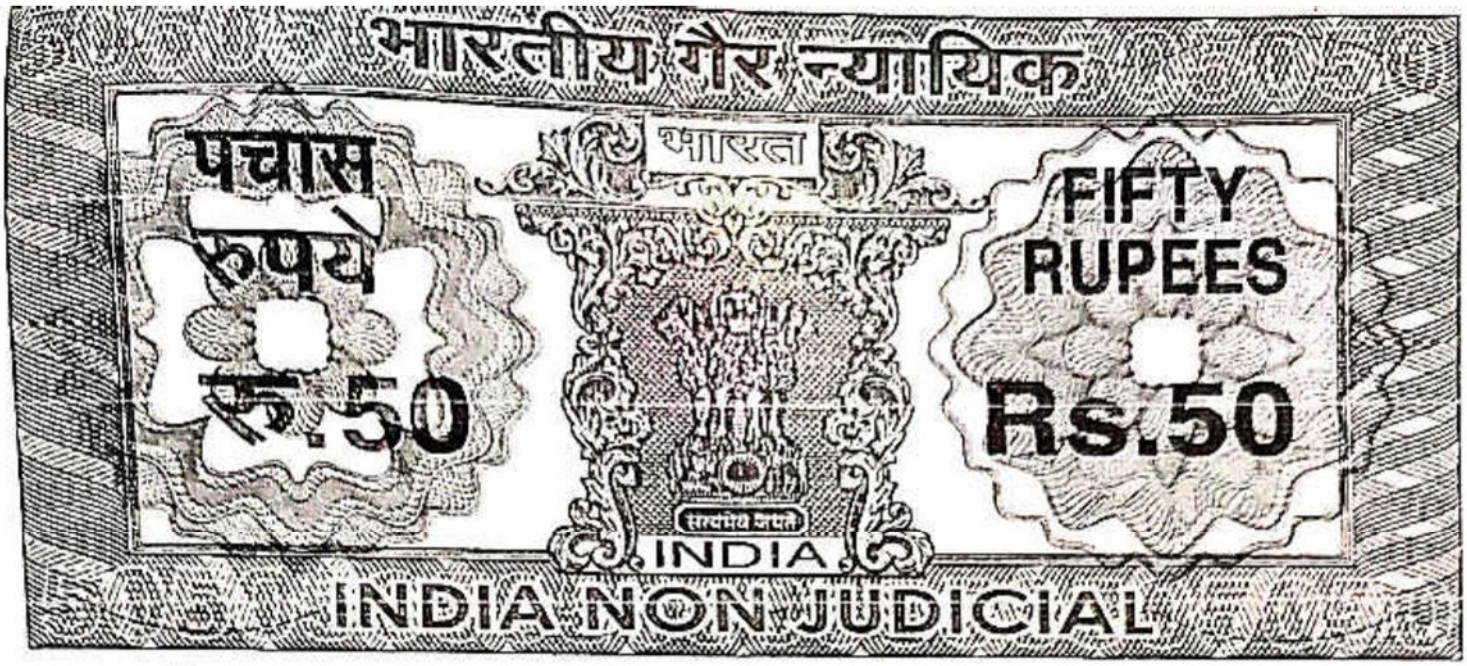

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 555385

(b)– उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो।

(c)– प्रत्येक प्रकार से सदस्य ट्रस्ट के नियमों/विनियमों के अनुपालन हेतु कृत संकल्पित हो।

(d)– वह भारत का नागरिक हो या किसी अन्य राष्ट्र का नागरिक होने की दशा मे उस राष्ट्र में नागरिक का विधिवत प्रमाण रखता हो। तथा ट्रस्ट के नियमों का पालन करता हो तो दो गवाहों के साक्ष्य से उसे भी ट्रस्ट की सदस्यता दी जा सकेगी।

(e)– वह व्यक्ति जो किसी अपराधिक मामले में दण्डित न हुआ हो।

(f)– समाज का सम्मानित व्यक्ति हो।

(g)– पागल दिवालिया न हो।

(h)– किसी साधारण या असाध्य रोगों से ग्रस्त न हो, यदि ऐसी स्थिति मे किसी को सदस्य बनाना आवश्यक होगा तो ट्रस्टी अपने विवेक से ट्रस्ट हित में सदस्य बना सकता है किन्तु वे ट्रस्ट काउन्सिल के बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं।

(i)– जो समाज के लिए आदर्श हो।

(2) "सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति"

(a)– मृत्यु होने पर।

(b)– पागल अथवा दिवालिया होने पर।

(c)– ट्रस्ट के प्रति अनिष्टकारी कार्य करने पर।

अन्छ सिंह

[redacted]

महानिदेशक

जय संत ... शिक्षण ... ट्रस्ट